

# ईरान के रिवल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकी संगठन घोषित किया अमेरिका ने

वाशिंगटन, 8 अप्रैल (एएफपी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की कि अमेरिका ईरान के विशिष्ट सैन्य बल 'रिवल्यूशनरी गार्ड कर्प्' को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर रहा है। ट्रंप ने बयान में कहा कि यह अप्रत्याशित कदम यह याद दिलाता है कि ईरान न सिर्फ आतंकवाद प्रायोजित करने वाला देश है बल्कि आइएआरजीसी आतंकवाद को धन मुहैया कराने और उसे बढ़ावा देने में सक्रियता से लगा है।

## करतारपुर कॉरिडोर पर 16 अप्रैल को भारत-पाकिस्तान की बैठक

इस्लामाबाद, 8 अप्रैल। पाकिस्तान ने सोमवार को कहा कि करतारपुर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब को गुजरासपुर स्थित डेरा बाबा नानक तीर्थस्थल से जोड़ने वाले कॉरिडोर के तैर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए वह 16 अप्रैल को भारत के साथ तकनीकी बैठक करेगा। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता डॉ. मोहम्मद फैसल ने ट्वीट किया, 'सकारात्मक वार्ता की पाकिस्तान की भावना को जारी रखते हुए हम 16 अप्रैल को तकनीकी बैठक करने के भारत के प्रस्ताव पर सहमत हुए हैं।' उन्होंने कहा, 'हम भारत से सकारात्मकता की उम्मीद करते हैं, जिससे 550वें समारोह के लिए कॉरिडोर एक हकीकत बन सके।' भारत और पाकिस्तान ने पिछले महिने करतारपुर कॉरिडोर पर तकनीकी विशेषज्ञों की बैठक की थी जिसमें विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई थी। (भाषा)

## तालिबान हमले में 12 सुरक्षाकर्मियों की मौत

काबुल, 8 अप्रैल। अफगानिस्तान के पश्चिमी बदगिस प्रांत में पिछले दो दिनों में तालिबान लड़ाकों के हमले में 12 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए हैं। पिछले हफ्ते बाला मुरगाब में तालिबान लड़ाकों ने सरकारी संपत्तियों पर हमला किया और कई चौकियां ज्वर कर लीं। उसने कहा, 'बड़े दुख के साथ हम घोषणा करते हैं कि इन अभियानों के दौरान अफगान नेशनल आर्मी के आठ और चार पुलिस कर्मी बहादुरी से लड़े और शहीद हो गए।' उसने बताया कि इस अभियान में अन्य 10 सैनिक व 24 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अभियान के दौरान 99 तालिबान आतंकवादी मारे गए। (एएफपी)

## अमेरिका के आंतरिक सुरक्षा प्रमुख नीलसन ने पद छोड़ा

वाशिंगटन, 8 अप्रैल (एएफपी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को आंतरिक सुरक्षा प्रमुख क्रिश्चान नीलसन की विदाई की घोषणा की। उनके इस कदम ने देश की दक्षिणी सीमा पर अवैध ढंग से प्रवेश करने की घटनाओं में बढ़ोतरी के बीच आग्रजन नीति को सख्त करने के उनके इरादे को फिर रेखांकित किया है।

अपने 18 महीने के कार्यकाल में उनकी छवि बच्चों को उनके माता-पिता से दूर करने वाली की रही, जिसके कारण प्रगतिशील समूहों और विपक्षी डेमोक्रेटिक लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन ट्रंप पर इसका कोई असर नहीं हुआ।

ट्रंप ने ट्वीट किया, 'आंतरिक सुरक्षा प्रमुख क्रिश्चान नीलसन अपना पद छोड़ रही हैं और मैं उनका सेवाओं के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।' उन्होंने कहा कि अमेरिकी सीमा शुल्क व सीमा सुरक्षा आयुक्त केलिन मैक्लेनन कार्यवाहक के तौर पर उनका कार्यभार संभालेंगे। नीलसन ने ट्विटर पर इस्तीफा पत्र साझा करते हुए कहा, 'नए युग में आंतरिक सुरक्षा सुधार में हमारी प्रगति के बावजूद, मैं इस बात को लेकर प्रतिबद्ध हूँ कि यह पद छोड़ने के लिए सही समय है।'

## फ्लू से लड़ने की क्षमता कमजोर कर सकते हैं आहार योज्य : शोध

वाशिंगटन, 8 अप्रैल (भाषा)।

प्रोजेन मीट और तले हुए भोजन में आमतौर पर पाए जाने वाले आहार योज्य (फूड एडिटिव) इंग्ल्युरेंजा से लड़ने की प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षमता को बाधा पहुंचा सकता है और फ्लू वैक्सीन के प्रभाव को कम कर सकता है। शोध यह बताते हैं मदद कर सकता है कि क्वॉथों मौसमी इंग्ल्युरेंजा दुनियाभर में स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। अनुमान के 290,000-650,000 लोग फ्लू से संबंधित श्वसन दिक्कतों के कारण मर जाते हैं। चूहों पर किए गए शोध से पता चला कि आहार योज्य टर्ट-बुथाइलहाइड्रोक्सीयुनिन टी कोशिकाओं पर असर डालता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है।

## पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों का वाइट हाउस पर प्रदर्शन

वाशिंगटन, 8 अप्रैल। पाकिस्तान के विभिन्न जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के प्रतिनिधियों ने यहां वाइट हाउस के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में उन्हें सबसे खराब किस्म के नरसंहार का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समूहों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध किया कि उन्हें आत्मनिर्णय के अधिकार का प्रयोग करने में मदद करे। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पाकिस्तानी प्रतिष्ठान जातीय पहचान को समाप्त

करने की दिशा में काम कर रहा है। मुताहिदा कौमी मूवमेंट यूएसए के मुख्य आयोजक रेहान इबादत ने कहा, 'अब यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर निर्भर है कि वह हमारी पीढ़ी को सुने और आत्मनिर्णय के अधिकार को हासिल करने में मदद करे।' प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त बयान में कहा, 'एक सामूहिक प्रयास के तहत हम पाकिस्तान की मौजूदा भौगोलिक सीमाओं में रह रहे सभी पीड़ित जातीय समूह का प्रतिनिधित्व करते हुए आज यहां जुटे हैं।' (भाषा)

## आइएमएफ के 'बेलआउट पैकेज' से चीन का उधार चुका सकता है पाक : अमेरिकी सांसद

वाशिंगटन, 8 अप्रैल (भाषा)।

अमेरिका के तीन प्रभावशाली सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) से पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित बहु-अरब डॉलर के 'बेलआउट पैकेज' का विरोध करने का आग्रह किया। द्विदलीय समूह के तीन सांसद ट्रेड याहू, अमी बेरा और जॉर्ज होल्डिंग ने वित्त मंत्री स्टीवन मनुचिन और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को लिखे पत्र में गहरी चिंता व्यक्त की कि पाकिस्तान आइएमएफ 'बेलआउट पैकेज' का इस्तेमाल चीन का ऋण उतारने के लिए कर सकता है।

पाकिस्तान ने 'चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे' (सीपेक) के तहत चीन से कर्ज लिया है। सांसदों ने 15 अप्रैल को लिखे पत्र में कहा कि चीनी अवसरवादी परियोजनाओं से प्राप्त ऋण को लौटाने के लिए पाकिस्तान सरकार के आइएमएफ से 'बेलआउट पैकेज' की मांग को लेकर हम बेहद चिंतित हैं। चीन सीपेक के तहत पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर निवेश कर रहा है। इसकी ऋण अदायगी और लाभ प्रत्यावर्तन की शर्तें उजागर नहीं हैं और इससे पाकिस्तान में काफी चिंताएं उत्पन्न हैं। चीन की ऋण-जाल कूटनीति का खतरनाक उदाहरण यह है कि श्रीलंका उस चीनी ऋण पर भुगतान करने में असमर्थ हो गया जो उसने हंबनटोटा बंदरगाह विकास परियोजना के लिए लिया था। चीन के अत्यंत दबाव बनाने पर श्रीलंका को अंततः बंदरगाह के चारों ओर 1,500 एकड़ जमीन को 99 साल के पट्टे के लिए उसे सौंपना पड़ा था। पत्र में कहा गया, 'चीन की ऋण कूटनीति का पाकिस्तान में प्रभाव स्पष्ट है, जिसे श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह में देखा जा सकता है और इसे नाकारा नहीं जा सकता है।'

**प्रम्व सं. आईएनसी-26**  
**केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष**  
 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) विनियमन, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के अधिनियम (6) के मातले में तथा

**मौन्य ट्रेडर स्वयंसेवक प्राइवेट लिमिटेड** जिसका पंजीकृत कार्यालय आर-22 ऑक्सिड 105, 1 फ्लोर, चन्द्रा नगर, साह्याबाद, दिल्ली-110092 में है, के मातले में

**आवेदक**  
 एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **‘उत्तर प्रदेश राज्य’** में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए अपनी को खम बनाने के लिए 25.03.2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में परित वित्त प्रशासन के अनुसार कम्पनी के मेमोरेडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत वह कम्पनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

**आवेदक**  
 कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) विनियमवली, 2014 के नियम 30(6)(क) के मातले में तथा

**पी.के.ओ. फॉर्मिक्स प्राइवेट लिमिटेड**  
 (CIN: U74699DL1994PTC060562)

पंजीकृत कार्यालय भी-98बी, गली नं.-11, शशी गार्डन, मंगू विहार, फेज-1, पटपटनगर नई दिल्ली-110091

**तथा**  
**फोरेक र्लैप इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड** जिसका पंजीकृत कार्यालय: 8/15, सेक्टर-3, राजनगर, साह्याबाद, उ.प्र.-201005 में है, के मातले में

**आवेदक**  
 एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि 'उत्तर प्रदेश' से 'हरियाणा राज्य' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए अपनी को खम बनाने के लिए 18 मार्च, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में परित वित्त प्रशासन के अनुसार कम्पनी के मेमोरेडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत वह कम्पनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित को प्रकृतित तथा आपत्ति के कारण का उल्लेख करते हुए एक पत्रपत्र धारा समर्थित अपनी आपत्ति की तिथि से चौदह दिन के भीतर अपने हित को प्रकृतित तथा आपत्ति के कारण का उल्लेख करते हुए एक पत्रपत्र धारा समर्थित अपनी आपत्ति 37/17, वेस्टकोट सिल्डिंग, द मात, कानपुर-208001 में कंपनी निदेशक के पास जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

**पंजीकृत कार्यालय:**  
 15, सेक्टर-3, राजनगर नगर, साह्याबाद, उ.प्र.-201005  
 तिथि: 08 अप्रैल, 2019

**आवेदक के लिए तथा उनकी ओर से**  
 हस्ता./-  
 पूजा चन्द्रा निदेशक  
 DIN: 03247332

**फार्म नं. आईएनसी-26**  
 (निगमन) निगमवली, 2014 के नियम 30 के अनुसार प्रम्व में)

**आईएनसी-26 केन्द्र सरकार**  
**नेम कार्य मंत्रालय,**  
**क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष**

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) विनियमवली, 2014 के नियम 30(6)(क) के मातले में तथा

**पी.के.ओ. फॉर्मिक्स प्राइवेट लिमिटेड**  
 (CIN: U74699DL1994PTC060562)

पंजीकृत कार्यालय भी-98बी, गली नं.-11, शशी गार्डन, मंगू विहार, फेज-1, पटपटनगर नई दिल्ली-110091

**तथा**  
**फोरेक र्लैप इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड** जिसका पंजीकृत कार्यालय: 8/15, सेक्टर-3, राजनगर, साह्याबाद, उ.प्र.-201005 में है, के मातले में

**आवेदक**  
 एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि 'उत्तर प्रदेश' से 'हरियाणा राज्य' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए अपनी को खम बनाने के लिए 18 मार्च, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में परित वित्त प्रशासन के अनुसार कम्पनी के मेमोरेडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत वह कम्पनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित को प्रकृतित तथा आपत्ति के कारण का उल्लेख करते हुए एक पत्रपत्र धारा समर्थित अपनी आपत्ति 37/17, वेस्टकोट सिल्डिंग, द मात, कानपुर-208001 में कंपनी निदेशक के पास जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

**पंजीकृत कार्यालय:**  
 15, सेक्टर-3, राजनगर नगर, साह्याबाद, उ.प्र.-201005  
 तिथि: 08 अप्रैल, 2019

**आवेदक के लिए तथा उनकी ओर से**  
 हस्ता./-  
 पूजा चन्द्रा निदेशक  
 DIN: 03247332

**फार्म नं. आईएनसी-26**  
 (निगमन) निगमवली, 2014 के नियम 30 के अनुसार प्रम्व में)

**आईएनसी-26 केन्द्र सरकार**  
**नेम कार्य मंत्रालय,**  
**क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष**

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) विनियमवली, 2014 के नियम 30(6)(क) के मातले में तथा

**पी.के.ओ. फॉर्मिक्स प्राइवेट लिमिटेड**  
 (CIN: U74699DL1994PTC060562)

पंजीकृत कार्यालय भी-98बी, गली नं.-11, शशी गार्डन, मंगू विहार, फेज-1, पटपटनगर नई दिल्ली-110091

**तथा**  
**फोरेक र्लैप इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड** जिसका पंजीकृत कार्यालय: 8/15, सेक्टर-3, राजनगर, साह्याबाद, उ.प्र.-201005 में है, के मातले में

**आवेदक**  
 एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि 'उत्तर प्रदेश' से 'हरियाणा राज्य' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए अपनी को खम बनाने के लिए 18 मार्च, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में परित वित्त प्रशासन के अनुसार कम्पनी के मेमोरेडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत वह कम्पनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित को प्रकृतित तथा आपत्ति के कारण का उल्लेख करते हुए एक पत्रपत्र धारा समर्थित अपनी आपत्ति 37/17, वेस्टकोट सिल्डिंग, द मात, कानपुर-208001 में कंपनी निदेशक के पास जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

**पंजीकृत कार्यालय:**  
 15, सेक्टर-3, राजनगर नगर, साह्याबाद, उ.प्र.-201005  
 तिथि: 08 अप्रैल, 2019

**आवेदक के लिए तथा उनकी ओर से**  
 हस्ता./-  
 पूजा चन्द्रा निदेशक  
 DIN: 03247332

**फार्म नं. आईएनसी-26**  
 (निगमन) निगमवली, 2014 के नियम 30 के अनुसार प्रम्व में)

**आईएनसी-26 केन्द्र सरकार**  
**नेम कार्य मंत्रालय,**  
**क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष**

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) विनियमवली, 2014 के नियम 30(6)(क) के मातले में तथा

**पी.के.ओ. फॉर्मिक्स प्राइवेट लिमिटेड**  
 (CIN: U74699DL1994PTC060562)

पंजीकृत कार्यालय भी-98बी, गली नं.-11, शशी गार्डन, मंगू विहार, फेज-1, पटपटनगर नई दिल्ली-110091

**तथा**  
**फोरेक र्लैप इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड** जिसका पंजीकृत कार्यालय: 8/15, सेक्टर-3, राजनगर, साह्याबाद, उ.प्र.-201005 में है, के मातले में

**आवेदक**  
 एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि 'उत्तर प्रदेश' से 'हरियाणा राज्य' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए अपनी को खम बनाने के लिए 18 मार्च, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में परित वित्त प्रशासन के अनुसार कम्पनी के मेमोरेडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत वह कम्पनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित को प्रकृतित तथा आपत्ति के कारण का उल्लेख करते हुए एक पत्रपत्र धारा समर्थित अपनी आपत्ति 37/17, वेस्टकोट सिल्डिंग, द मात, कानपुर-208001 में कंपनी निदेशक के पास जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

**पंजीकृत कार्यालय:**  
 15, सेक्टर-3, राजनगर नगर, साह्याबाद, उ.प्र.-201005  
 तिथि: 08 अप्रैल, 2019

**आवेदक के लिए तथा उनकी ओर से**  
 हस्ता./-  
 पूजा चन्द्रा निदेशक  
 DIN: 03247332

**फार्म नं. आईएनसी-26**  
 (निगमन) निगमवली, 2014 के नियम 30 के अनुसार प्रम्व में)

**आईएनसी-26 केन्द्र सरकार**  
**नेम कार्य मंत्रालय,**  
**क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष**

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) विनियमवली, 2014 के नियम 30(6)(क) के मातले में तथा

**पी.के.ओ. फॉर्मिक्स प्राइवेट लिमिटेड**  
 (CIN: U74699DL1994PTC060562)

पंजीकृत कार्यालय भी-98बी, गली नं.-11, शशी गार्डन, मंगू विहार, फेज-1, पटपटनगर नई दिल्ली-110091

**तथा**  
**फोरेक र्लैप इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड** जिसका पंजीकृत कार्यालय: 8/15, सेक्टर-3, राजनगर, साह्याबाद, उ.प्र.-201005 में है, के मातले में

**आवेदक**  
 एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि 'उत्तर प्रदेश' से 'हरियाणा राज्य' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए अपनी को खम बनाने के लिए 18 मार्च, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में परित वित्त प्रशासन के अनुसार कम्पनी के मेमोरेडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत वह कम्पनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित को प्रकृतित तथा आपत्ति के कारण का उल्लेख करते हुए एक पत्रपत्र धारा समर्थित अपनी आपत्ति 37/17, वेस्टकोट सिल्डिंग, द मात, कानपुर-208001 में कंपनी निदेशक के पास जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

**पंजीकृत कार्यालय:**  
 15, सेक्टर-3, राजनगर नगर, साह्याबाद, उ.प्र.-201005  
 तिथि: 08 अप्रैल, 2019

**आवेदक के लिए तथा उनकी ओर से**  
 हस्ता./-  
 पूजा चन्द्रा निदेशक  
 DIN: 03247332

# रक्षा सहयोग बढ़ाने पर राजी भारत और श्रीलंका

कोलंबो, 8 अप्रैल (भाषा)।

रक्षा सचिव संजय मित्रा की सोमवार को (श्रीलंकाई) राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के साथ मुलाकात के दौरान भारत और श्रीलंका श्रीलंकाई सेना के जवानों के लिए प्रशिक्षण समेत रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सोमवार को सहमत हुए हैं।

मित्रा रविवार को श्रीलंका की दो दिन की यात्रा पर कोलंबो पहुंचे थे। इस दौरान वह

कई उच्चस्तरीय रक्षा सहयोग बैठकों में हिस्सा लेंगे। वह कैंडी और अनुराधापुरा जाने के अलावा अपने श्रीलंकाई समकक्ष हेमाचिरि पंचंडो और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल रवींद्र विजेगुनरत्ने से भी मिलेंगे। राष्ट्रपति सिरिसेना के कार्यालय की ओर से श्रीजी बराने में कहा गया है कि भारत और श्रीलंका क्षेत्रीय सुरक्षा समेत सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। मित्रा के यहां सुबह में सिरिसेना से

मुलाकात करने के बाद यह बयान जारी किया गया। बयान के अनुसार भारत, श्रीलंका के सैन्यकर्मियों को प्रशिक्षण देने की तैयारी है। भारत में श्रीलंका के सैन्यकर्मियों को प्रशिक्षण का विषय तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के कार्यकाल में बड़ा मुद्दा बन गया था। उन्होंने राज्य में वेलिंगटन के डिफेंस स्टाफ सर्विसेज कालेज से श्रीलंका के दो अधिकारियों को हटाने की मांग की थी।

**भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड**  
**CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.**  
 एक नवसंरक्षित कंपनी (भारत सरकार का उपक्रम)  
 A Navratna Company (A Govt. of India Undertaking)  
 आईसीडी, तुलुकाबाद, नई दिल्ली-110020

**सार्वजनिक नीलामी/निविदा सूचना**  
 ई- नीलामी के माध्यम से क्लीयर व किए गए/अदावाकृत आवेदित कार्यों का निवृत्तन करना

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, उत्तरी क्षेत्र व उत्तरी मध्य क्षेत्र के उन कंटेनरों पर या **28.02.2019** से पहले उत्तरी क्षेत्र व उत्तरी मध्य क्षेत्र के टर्मिनलों पर पूरे र्टी वस्तुओं, खाली ट्रेड ब्रिगरर कंटेनरों और अदावाकृत/क्लियर ना किये गए आवेदित कार्यों की ई-नीलामी के माध्यम से 30.04.2019 को 'जैसा है जहां है आधार पर' नीलामी करेगा। नीलामी बिकी के नियम एवं शर्तों एवं कार्यों विवरणों के साथ सभी विवरण 15.04.2019 से [www.concorindia.co.in](http://www.concorindia.co.in) एवं [www.mstccomerce.com](http://www.mstccomerce.com) पर उपलब्ध होंगे। सभी आवेदकों जिन्होंने सरकारी उपक्रम/विभाग भी शामिल है, के कंटेनर/सामान किसी विवाद, न्यायलय/अधिकरणों/अन्यो द्वारा दिये गए स्थानों के कारण या ऐसे किसी ऐसे अन्य कारण से संबंधित टर्मिनलों पर अदावाकृत/क्लीयर न किए गए पड़े हैं और वेबसाइट में अपलोड की गई सूची में आते हैं, वे संबंधित कार्यकारी निदेशक, उत्तरी क्षेत्र व उत्तरी मध्य क्षेत्र कान्फेर और संबंधित कमीशनरों, सीमा शुल्क आयुक्त को तत्पश्चात सूचित कर सकते हैं और इस सूचना के 7 (सात दिनों) के भीतर ऐसे सामानों के निवृत्तन के संबंध में अपनी आपत्तियों/दावे दर्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर और कोई सूचना दिये बिना सामानों की जैसा है जहां है के आधार पर नीलामी की जाएगी। पूर्ण विवरण के लिए कृपया [www.concorindia.co.in](http://www.concorindia.co.in) एवं [www.mstccomerce.com](http://www.mstccomerce.com) पर जाते कार्यों की निदेशक, उत्तरी क्षेत्र

**अनुसूची-II**  
**प्रम्व की सार्वजनिक उद्योगों**  
 [ भारत दिवाला तथा दिवालीया मंडल (परिचालन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अंतर्गत ]

**सू. काम पावर सिस्टम लिमिटेड के ष्टेडाकों के ध्यानाथ**

संबंधित विवरण	सू. काम पावर सिस्टम लिमिटेड
1. कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	सू. काम पावर सिस्टम लिमिटेड
2. कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगम की तिथि	14 अक्टूबर, 1998
3. यह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक नियमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली
4. कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लायलिटी पहचान संख्या	U64201DL1998PLC096685
5. कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय: इन्ड्युवैड-12ए, भागवाननगर नगर एस्टेटनगर, इंदर पंचमी बजार, नई दिल्ली-110026 प्रधान कार्यालय: प्लॉट नं. 54, उद्योग विहार, फेज VI, सेक्टर-37, मुद्रागुण-122001, हरियाणा, भारत
6. दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमति/होने की तिथि	3 अप्रैल, 2019
7. कॉर्पोरेट ऋणधारक का परिचालन समाप्त होने की तिथि	<b>3 अप्रैल, 2019</b>
8. परिचालक के रूप में कार्यरत इन्स्ट्रुमेंटरी प्रिंसिपल का नाम	राज कुमार रल्लान IBB/IIPA-001/IP-P00981/2017-2018/11614
9. बोर्ड में यथा पंजीकृत परिचालक का पता एवं ईमेल:	पता: 801, टावर 01, कलिंगो कॉर्ट, सेक्टर 128, जयपी ग्रीन, विद्य टाउन, नोएडा, गैंगम युध नगर, उत्तर प्रदेश, भारत rajkumarallan@gmail.com
10. परिचालक के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	पता: नं. 54, उद्योग विहार, फेज VI, सेक्टर-37, मुद्रागुण-122001, हरियाणा, भारत claim.sks@ipn.pwc.com
11. दावे जमा करने की अंतिम तिथि	<b>5 मई, 2019</b>

## सू. काम पावर सिस्टम लिमिटेड का परिचालक बृहत् करने के लिये एसोसिएट, प्रधान पीठ की अदेश की तिथि 3 अक्टूबर, 2019 है। कॉर्पोरेट ऋणधारक द्वारा उक्त अदेश 6 अक्टूबर, 2019 को प्राप्त की गई। तदनुसार, दावे जमा करने की तिथि कॉर्पोरेट ऋणधारक द्वारा परिचालन का उक्त अदेश की तिथि से 30 दिन माना गया है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, ने 3 अक्टूबर, 2019 को सू. काम पावर सिस्टम लिमिटेड के संबंध में परिचालन बृहत् करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा सू. काम पावर सिस्टम लिमिटेड के ष्टेडकारकों को सूचित किया जाता है कि आदेश नं. 10 में वर्णित पते पर अंतिम प्रस्ताव प्रिंसिपल के पास को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

प्रासंगिक क्रेडिटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडिटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। दावे का गलत अथवा ष्टेडक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जाएगा।

**तिथि: 9 अक्टूबर, 2019**  
**स्थान: नई दिल्ली**

**परिचालक का नाम तथा हस्ताक्षर**  
**राज कुमार रल्लान**

**प्रम्व ए सार्वजनिक उद्योगों**  
 [ भारत दिवाला तथा दिवालीया मंडल (परिचालन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अंतर्गत ]

**दीवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमति/होने की तिथि**

**संबंधित विवरण**

संबंधित विवरण	सार्वजनिक उद्योग
1. कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	<b>मै. लोवल इन्ट्रीक्टिव मॉलस प्राइवेट लिमिटेड</b>
2. कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगम की तिथि	14.1.2010
3. यह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक नियमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, गा. क्षेत्र दिल्ली तथा हरियाणा (कंपनी, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्मित है)
4. कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लायलिटी पहचान संख्या	U52100DL2010PTC197971
5. कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय: ए-1/54, निगम भूखल, साबरकान्ता एस्टेटनगर, नई दिल्ली-110029
6. कॉर्पोरेट ऋणधारक के संबंध में दिवाला आरंभ होने की तिथि	सीआईआरएफे के संदर्भ में दिवाला आरंभ तिथि: 4.4.2019 (11B)-249 (ND)-2018 में मानव्य एतद्द्वारा, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के अदेश द्वारा (आदेश की प्रति 6.4.2019 को प्राप्त की गई)
7. दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमति/होने की तिथि	1.10.2019 (दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू होने की तिथि से 180 दिन)
8. परिचालक के रूप में कार्यरत इन्स्ट्रुमेंटरी प्रिंसिपल का नाम	नाम: अमित शिवेल गुप्ता पंजीकरण सं. IBB/IIPA-002/IP-N00144/2017-18/10380